-प्रेस नोट-

दिनांक: 18-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शराब ठेके के सैल्समैन की हत्या का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू, 02 मोबाइल फोन, 1490/- रूपये नकद, मृतक का पिट्ठू बैग, 02 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 15.08.2026 को वादी श्री अंकित पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई लोकेश की हत्या कर शव का सडक किनारे गड्ढे मे फेंक देने के सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0सं0 246/26 धारा 103(2)/238(बी) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल हत्या की उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री संजय कुमार तथा एसओजी/स्वाट प्रभारी के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 17.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए घटना में शामिल* ***05 अभियुक्तगण 1. राहुल उर्फ राज सिंह पुत्र सोनू सैनी निवासी ग्राम नयागाँव थाना नागल जनपद सहारनपुर, 2. विकास पुत्र जैन सिंह निवासी ग्राम नयागाँव थाना नागल जनपद सहारनपुर, 3. रामधारी पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम नयागाँव थाना नागल जनपद सहारनपुर, 4. विशाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम रोहाल्की किशनपुर थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड व 5. विकास पुत्र कीरत सिंह निवासी ग्राम रोहाल्की किशनपुर थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड*** *को मुजफ्फरनगर-सहारनपुर हाईवे से गांगनौली शुगर मिल जाने वाले रास्ते पर रेलवे पुल के पास नई कट रही कालोनी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू, 02 मोबाइल फोन, मृतक का पिट्ठू बैग, 02 मोटरसाइकिल व 1490/- रूपये नकद बरामद हुए। साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, बयान गवाहान व बरामदगी के आधार पर* ***मुकदमा उपरोक्त मे धारा 103(1) बीएनएस का विलोपन करते हुए धारा 310(3)/317(3)/3(5) बीएनएस की वृद्धि*** *की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण- *अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर बताया गया कि इन सभी लोगो ने शराब के ठेके पर काम करने वाले सैल्समैन लोकेश के बारे में जानकारी की थी कि यह प्रतिदिन रात्रि में 10 बजे दुकान बन्द करके अकेला अपनी मो0सा0 UP11BC8742 पर घर जाता है। इसकी कमर पर लाल रंग का पिट्ठु बैग लटका रहता है तथा हमें जानकारी थी कि लोकेश बैग में काफी पैसा लेकर जाता है, इस पर हम सभी ने मिलकर लूट की योजना बनायी कि जब लोकेश ठेका बन्द करके अपने घर जाने के लिए मोटरसाइकिल लेकर निकलेगा तो विकास और रामधारी दोनो एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके पीछे पीछे आकर फोन द्वारा जानकारी देते रहेंगे तथा दूसरी मो0सा0 पर राहुल, विशाल व विकास सिडकी से लाखनौर के बीच लोकेश को घेर लेंगे। इसी योजना के अनुसार दिनांक 14.08.26 को रात्रि करीब 10.00 बजे के आस पास जब लोकेश शराब की दुकान बन्द करके चला तो हम सभी इसके पीछे-पीछे अपनी अपनी मो0सा0 UP11AJ3214 पर चलने लगे। योजना के अनुसार जब*

लोकेश सामान लेकर दुकान से चला तो विकास ने फोन द्वारा राहुल उर्फ राज को बताया कि लोकेश चल दिया है और हम इसके पीछे आ रहे है। जैसे ही लोकेश लाखनौर से पहले आईटीआई के पास रोड पर आया तो राहुल उर्फ राजसिंह द्वारा अपनी बाइक बराबर में लगाते हुए लोकेश की मो0सा0 में पीछे से लात मारकर लोकेश को सड़क के किनारे गड्डे में गिरा दिया और राहुल उर्फ राज सिंह, विकास व विशाल भी अनियन्त्रित होकर गिर गये तथा विकास व रामधारी ने अपनी मो0सा0 सड़क किनारे खड़ी कर दी थी। तब हम सभी ने मिलकर लोकेश से पिट्ठु बैग छीना तो छीना छपटी में बैग की तनी उखड़ गयी और लोकेश पानी में गिर गया। तथा कहने लगा, राहुल मैने तुझे पहचान लिया, अब तेरी शिकायत थाने में करूंगा, इस पर हम सभी लोग घबरा गये और हम सभी लोकेश पर टूट पड़े तथा हम सभी ने मिलकर लोकेश की गर्दन पकड़कर पानी में तब तक डुबाये रखा जब तक की उसके प्राण न निकल गये। इसी छिना झपटी की दौरान राहुल का 315 का लोडिड तमंचा पानी भरे गड्ढे में गिर गया व भागते समय हमारी चप्पले भी मौके पर ही छुट गयी थी और फिर राहुल मौके से गड्डे में गिरी अपनी मो0सा0 को निकालकर पोपलर के खेत की तरफ खेतो खेतो ले गये और बैग को खेत में छिपा दिया था तथा अपनी-अपनी मो0सा0 पर सवार होकर अपने-अपने घर चले गये थे तथा आज लूट के रूपयो व सामान को बाटने के उद्देश्य से रेलवे पुल के पास नई कट रही कालोनी में बैठे माल का बटवारा कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *राहुल उर्फ राज सिंह पुत्र सोनू सैनी निवासी ग्राम नयागाँव थाना नागल जनपद सहारनपुर*
2. *विकास पुत्र जैन सिंह निवासी ग्राम नयागाँव थाना नागल जनपद सहारनपुर*
3. *रामधारी पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम नयागाँव थाना नागल जनपद सहारनपुर*
4. *विशाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम रोहाल्की किशनपुर थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड*
5. *विकास पुत्र कीरत सिंह निवासी ग्राम रोहाल्की किशनपुर थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड*

बरामदगी का विवरणः-

- *02 अदद अवैध चाकू,*
- *01 अदद मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी F17,*
- *01 टैक्नो कम्पनी LK 07 K,*
- *1490/- रुपये नगद,*
- *01 पिट्ठू बैग रंग लाल तनी टूटा हुआ (मृतक लोकेश का)*
- *01 मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर रजि0 नं0 UP 11AJ 3214 रंग लाल-काला 125 सीसी,*
- *01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर रजि0 नं0 UP 11CR 1264 रंग काला*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल सहारनपुर*
2. *प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सक्सेना एसओजी प्रभारी सहारनपुर*
3. *व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना नागल सहानपुर*
4. *उ0नि0 नीरज कुमार प्रभारी स्वाट टीम सहारनपुर*
5. *उ0नि0 श्री संजय कुमार राणा थाना नागल सहारनपुर*
6. *उ0नि0 संजय कुमार थाना नागल सहारनपुर*
7. *है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नागल सहारनपुर*
8. *है0का0 698 संदीप भाटी थाना नागल सहारनपुर*

9. है0का0 1195 मशकूर चौधरी थाना नागल सहारनपुर
10.है0का0 अमरदीप सिंह एसओजी सहारनपुर
11.है0का0 हरेन्द्र सिंह एसओजी सहारनपुर
12.है0का0 अमित पंवार एसओजी सहारनपुर
13.है0का0 अमित चिकारा एसओजी सहारनपुर
14.है0का0 जोगेन्द्र सिंह एसओजी सहारनपुर
15.है0का0 सोनू सर्विलांस सैल सहारनपुर
16.है0का0 आकाश नेहरा सर्विलांस सैल सहारनपुर
17.है0का0 नितिन कुमार सरिव्लांस सैल सहारनपुर
18.का0 गौरव राठी एसओजी सहारनपुर
19.का0 38 विक्रान्त तेवतिया एसओजी सहारनपुर
20.का0 अमित कुमार एसओजी सहारनपुर
21.चालक विनित राणा सर्विलांस सैल सहारनपुर
22.चालक हरिओम सर्विलांस सैल सहारनपुर
23.का0 2556 विशाल बाबू थाना नागल सहारनपुर
24.का0 811 दीपक कुमार थाना नागल सहारनपुर
25.का0 2337 कृष्णा गोपाल थाना नागल सहारनपुर

दिनांक: 18.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम वाँछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. विजय कुमार पुत्र चमन निवासी गोल्ली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 35/25 धारा 138 एनआईएक्ट चालानी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर (मा0 न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कक्ष संख्या-20 सहारनपुर) तारीख पेशी 18.08.2026 में गौल्ली से व* ***अभियुक्त 2. सलमान उर्फ सल्लू पुत्र महफूज गाडा निवासी फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*** *को सम्बन्धित मु0अ0सं0 46/02 धारा 457/380/411 भादवि चालानी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर (मा0 न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कक्ष संख्या-20 सहारनपुर) तारीख पेशी 18.08.2026 में ग्राम फतेहपुर भादो से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. *विजय कुमार पुत्र चमन निवासी गोल्ली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *सलमान उर्फ सल्लू पुत्र महफूज गाडा निवासी फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
4. *रि0का0 793 अंकित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांकः 18-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश/अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 छोटा हाथी (गाड़ी), 01 जिंदा गोवंश एवं गोकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, गोकशी, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.08.2026 की रात्रि को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा शाहजहाँपुर चिलकाना रोड से भिक्कनपुर जाने वाली रोड पर गस्त के साथ -साथ संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी। तभी पॉपलर के खेत के पास जंगल में एक गाड़ी (छोटा हाथी) दिखायी दी। जैसे ही पुलिस टीम संदिग्ध गाड़ी (छोटा हाथी) को चैक करने के लिये पॉपलुर के खेत में जाने लगी तो देखा कि पास में ही तीन व्यक्ति गौकशी करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख गौकशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 गौकश/अभियुक्त को बायें पैर में गोली लगने से गिरफ्तार किया गया एवं दो गौकश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। फरार गौकश/अभियुक्तों को पकड़ने हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल गौकश/अभियुक्त की पहचान **नसीम पुत्र यामीन निवासी सौराना थाना सरसावा जनपद सहानरपुर** के रुप में हुई। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त नशीम उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना सरसावा पर गौकशी एंव हत्या का प्रयास जैसे संगीन अपराधों में दो अभियोग पंजीकृत है । जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा गोवंश, गोकशी करने के उपकरण (01 गुटखा लकडी का , 02 छुरी , 01 कुल्हाडी , 02 रस्सी) तथा 01 गाड़ी (छोटा हाथी) बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 268/2026 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण— अभियुक्त नसीम ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग मिलकर आवारा घूमने गोवंशो को पकड़कर उनका वध कर गोमांश को लोगो को बेचकर पैसा कमाते है आज भी हम सब आवारा गोवंश को पकड़कर उसका वध कर गोमांश को बेच कर पैसा कमाने के लिए आये थे कि पुलिस ने मुझे पकड लिया तथा मेरे दो साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

नसीम पुत्र यामीन निवासी सौराना थाना सरसावा जनपद सहानरपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

01 तमंचा .315 बोर,

01 जिंदा कारतूस .315 बोर

01 खोखा कारतूस .315 बोर,

01 छोटा हाथी (घटना में प्रयुक्त)

01 जिंदा गोवंश एवं गोकशी के उपकरण

अभियुक्त नसीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास—

1. *मु0अ0सं0 540/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना सरसावा, सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 541/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा, सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 268/2026 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा, सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. *थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री देवेन्द्रपाल तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
3. *हैका0 24 सुनील कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
4. *हैका0 599 प्रदीप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
5. *का0 2290 कासिम अहमद थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
6. *का0 2225 रंगैश चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 18.08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 अदद पाउच महबूबा देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 17.08.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त विशाल पुत्र सुरेश निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*** *को छुटमलपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विशाल के कब्जे 20 अदद पाउच महबूबा देशी शराब मार्का बरामद हुए। गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 222/26 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल पुत्र सुरेश निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 222/26 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
4. *रि0का0 770 बबबू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांक: 18.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 अदद पाउच महबूबा देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 17.08.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त प्रमोद पुत्र हरकेश निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*** *को कमेशपुर बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विशाल के कब्जे 20 अदद पाउच महबूबा देशी शराब मार्का बरामद हुए। गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 223/26 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रमोद पुत्र हरकेश निवासी अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

2. मु0अ0सं0 223/26 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. रि0का0 770 बबबू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 18.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 151 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त सुमित उर्फ डैनी पुत्र नरेश निवासी मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सबरीपुर जाने वाला रास्ता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 151 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 324/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुमित उर्फ डैनी पुत्र नरेश निवासी मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 151 ग्राम चरस

आपराधिक इतिहास –

- मु0अ0स0 97/22 धारा 414 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
- मु0अ0सं0 98/22 धारा 4/25 ए एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
- मु0अ0सं0 273/22 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
- मु0अ0सं0 66/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
- मु0अ0सं0 151/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

- *मु0अ0सं0 62/24 धारा 10यूपी गुण्डा एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर*
- *मु0अ0सं0 122/25 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर*
- *मु0अ0सं0 324/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u> -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 456 बबलू राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर*
4. *है0का0 1110 प्रेम सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर*
5. *का0 244 धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर*

दिनांक -18.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण ***1. साहिल उर्फ शालु पुत्र मौहम्मद आरिफ निवासी मौहल्ला कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को सम्बधित वाद सख्या 10800/21 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना मण्डी सहारनपुर (माननीय न्यायलय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) में मौहल्ला कमेला कालोनी से* ***व अभियुक्त 2. मोहसीन उर्फ राजा पुत्र अब्दुल रहमान निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को सम्बधित वाद सख्या 3501/21 व मु0अ0स0 188/03 धारा 25/4 शस्त्र अधिनियम चालानी थाना मण्डी सहारनपुर (माननीय न्यायलय एसीजेएम द्वितीय सहारनपुर) व वाद सख्या 4579/14 मु0अ0स0 373/09 धारा 60 आबकारी अधिनियम (माननीय न्यायलय एसीजेएम तृतीय सहारनपुर) में पीर वाली गली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. साहिल उर्फ शालु पुत्र मौहम्मद आरिफ निवासी मौहल्ला कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मोहसीन उर्फ राजा पुत्र अब्दुल रहमान निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
3. रि0का0 1212 जितेन्द्र कुमार थाना मण्डी सहारनपुर

दिनांक:18.08.2026

-प्रेस नोट-

!! सहारनपुर पुलिस की नशे के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कडी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 17.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 नशा तस्कर अभियुक्त इरफान पुत्र शफीक निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी से ग्राम फिरोजाबाद जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर* **मु0अ0सं0 298/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम** *पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. इरफान पुत्र शफीक निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- कुल 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा मार्का हरियाणा राज्य की

अभियुक्त इरफान का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 229/15 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 78/16 धारा 420 भादवि व 60/72 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 221/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1- उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- है0का0 107 सोनू पायला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

3- का0 626 निक्कू सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक: 18-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त रविन्द्र कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी म0न0 199 मौहल्ला क्लेमन टाउन निकट लखानी वाली की कोठी थाना सदर बाजार सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 2646/2024 धारा 125(3) सीआरपीसी/144(3) बीएनएस (माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहारनपुर) मौहल्ला क्लेमन टाउन निकट लखानी वाली की कोठी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

रविन्द्र कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी म0न0 199 मौहल्ला क्लेमन टाउन निकट लखानी वाली की कोठी थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री अमरीश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 834 यशपाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 385 सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक:18.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहानरपुर पुलिस द्वारा पोक्सो एकट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 14.07.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अंकुश पुत्र कुसुमपाल निवासी ग्राम चौरी मण्डी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 234/26 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अपहृता की शीघ्र बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त अंकुश पुत्र कुसुमपाल निवासी ग्राम चौरी मण्डी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को सलीरी मोड से गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 15.08.26 को वादी की पुत्री को सकुशल बरामद कर विवेचना के क्रम मे मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(ड) बीएनएस व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. अंकुश पुत्र कुसुमपाल निवासी ग्राम चौरी मण्डी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- उ0नि0 श्री रोहताश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक- 18.08.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 05 घण्टे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 20 हजार रुपये बरामद

घटना का विवरणः- दिनाकं 18.08.26 को वादी श्री फरमान पुत्र शकील निवासी ग्राम पाडली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभि0गण 1. दानिश पुत्र हसीन व 2. नौशाद पुत्र इमरान निवासीगण ग्राम पाडली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 17/18.08.2026 की रात में वादी के घर में रखी अलमारी से पैसे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 249/26 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदम त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल **02 अभियुक्तगण 1. नौशाद पुत्र इमरान निवासी ग्राम पाण्डली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर व 2. दानिश पुत्र हसीन निवासी ग्राम पाडली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को पाडली रोड पर निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त गण के कब्जे से चोरी गये 10 -10 हजार रुपये बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. नौशाद पुत्र इमरान निवासी ग्राम पाडली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. दानिश पुत्र हसीन निवासी ग्राम पाडली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 20,000/- रूपये चोरी गये (दोनो अभियुक्तों के कब्जे से 10-10 हजार रुपये)

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त दानिश) –

1. मु0अ0स0 194/19 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 243/17 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 308/29 धारा 380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 164/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0स0 196/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सोमेन्द्र थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. हेका0 1318 दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. का0 1666 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

दिनांक – 18.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम नशीला पदार्थ चरस नाजायज व 01 नोकिया का मोबाइल फोन की-पेड बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों नशे के/ अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***– "ऑपरेशन सवेरा""नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है।*

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 नशा तस्कर अभियुक्त अनस पुत्र मास्टर शमीम निवासी तेली मोरी कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*** *को जामिया तिबिया रेलवे पुल के पास कस्बा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस व 01 मोबाइल नोकिया की-पेड बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-599/2026 धारा 8/20 NDPS ACT मे पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनस पुत्र मास्टर शमीम निवासी तेली मोरी कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- *250 ग्राम नशीला पदार्थ चरस*
- *01 अदद मोबाईल नोकिया कीपेड*

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 461/2026 धारा 8/21/29 NDPS ACT थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- *उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
2- *है.का.272 जुगमेन्द्र मलिक थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
3- *है.का.1212 अनुज वर्मा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*

दिनांक: 18.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.06.2026 को वादी उ0नि0 शौकीन खान थाना कोत0नगर की तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-154/26 धारा—191(2)/191(3)/190/109(1)/121(1)/132/125 बीएनएस व 7 सी.एल.ए. एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***आरिफ पुत्र फुरकान निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को नूरबस्ती से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आरिफ पुत्र फुरकान निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0सं0-153/26 धारा- 119/191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना कोत0नगर, सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0-154/26 धारा—191(2)/191(3)/190/109(1)/121(1)/132/125 बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना कोत0नगर, सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *व0उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
2. *रि0का0 1328 विशाल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
3. *रि0का0 1295 विजय कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक – 18.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 275 ग्राम चरस बरामद

*श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त **मेहरबान उर्फ सन्नाटा पुत्र कय्युम निवासी मौहल्ला नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को सिंचाई विभाग के खण्डहर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मेहरबान उर्फ सन्नाटा उपरोक्त के कब्जे से कुल 275 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 374/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। **गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुतुबशेर का हिस्ट्रीशीटर (नम्बर-1बी) अभियुक्त है।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

मेहरबान उर्फ सन्नाटा पुत्र कय्युम निवासी मौहल्ला नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *275 ग्राम चरस*

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0स0 327/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
2. *मु0अ0स0 379/15 धारा 380/411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
3. *मु0अ0स0 402/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
4. *मु0अ0स0 492/18 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
5. *मु0अ0स0 515/18 धारा 380/411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
6. *मु0अ0स0 366/20 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
7. *मु0अ0स0 367/20 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

8. मु0अ0स0 106/24 धारा 8/20 NDPS व 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 374/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 31 सुभाषचन्द थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 रुपेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0 का0 51 शान्तनु थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. रि0का0 1376 दीपू थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. रि0 का0 1388 विक्राल सागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 18.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर,उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 02 घायलावस्था सहित कुल 03 शातिर गौकश/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के उपकरण, 02 देशी तमन्चे .315 बोर, 02 जिन्दा / 04 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिन्दा गोवंश एवं घटना में प्रयुक्त बौलेरो पिकअप वाहन बरामद

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती,अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।***

इसी क्रम में आज दिनाँक 18.08.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात द्वारा गश्त व चैकिंग की जा रही थी तथी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि निर्माणीधीन मल्हीपुर रोड सूखे तालाब के सामने आम के बाग थाना कोतवाली देहात में कुछ व्यक्ति गौकशी करने की तैयारी कर रहे है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मय फोर्स के आम के बाग के पास मौके पर पहुंचे तो देखा कि 07 व्यक्तियों द्वारा गौकशी की घटना करने का प्रयास किया जा रहा है । पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में 02 बदमाशों के दाहिने पैर मे गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया । घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान ***1. अब्दुल वहाब पुत्र सत्तार कुरैशी निवासी ग्राम पठैड थाना चिलकाना हाल निवासी मौ0शाहपुर कस्बा भगवानपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार 2. अफताब उर्फ बिल्लु पुत्र इकरामुद्दीन निवासी तेलीवाला थाना डोईवाला देहरादून*** *के रूप में हुई । घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल सहारनपुर मे भर्ती कराया गया तथा तीसरे बदमाश* ***3. नासिर पुत्र जाहिद निवासी दाउद सराय डोली खाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से गौकशी के उपकरण 02 देशी तमन्चे .315 बोर, 02 जिन्दा / 04 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिन्दा गोवंश एवं घटना में प्रयुक्त बौलेरो पिकअप वाहन बरामद बरामद हुई। 04 अन्य बदमाश जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे । फरार बदमाशो की तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार काम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 409/2026 मु0अ0सं0 409/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट व धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. *अब्दुल वहाब पुत्र सत्तार कुरैशी निवासी ग्राम पठैड थाना चिलकाना हाल निवासी मौ0शाहपुर कस्बा भगवानपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार।*
2. *अफताब उर्फ बिल्लु पुत्र इकरामुद्दीन निवासी तेलीवाला थाना डोईवाला देहरादून।*
3. *नासिर पुत्र जाहिद निवासी दाउद सराय डोली खाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरण:

- *02 तमंचे .315 बोर*
- *02 जिन्दा/04 खोखा कारतूस .315 बोर*
- *02 जिन्दा गोवंश*
- *01 पिकअप बौलेरो बरामद*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *श्री एच0एन0 सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 विजय सिहं थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
3. *उ०नि० निप्पी सिहथाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
4. *उ0नि0 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
5. *है0का0 870 रोबिन कुमारथाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
6. *है०का0 1296 अंकुर कुमारथाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
7. *है0का0 334 संजीव थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
8. *का0 2342 कपिल राठी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
9. *का0 2098 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः 18.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.08.2026 को 02 वारण्टी अभियुक्तगणो ***1. अल्ताफ उर्फ ताजी पुत्र मुख्तयार हसन नि0 मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद संख्या 8011/18 मु0अ0सं0 134/2009 धारा 379/411 भादवि (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सहारनपुर)* ***2. शाहरुख उर्फ बकरी पुत्र फारुख निवासी मौहल्ला गाडोवाला मानकमउ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद संख्या 8011/18 मु0अ0सं0 134/2009 धारा 379/411 भादवि व वाद सं0-1693/23 मु0अ0सं0 83/2023 धारा 302/201/120बी भादवि (माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सहारनपुर)* ***3.प्रवीन कुमार पुत्र धनीराम निवासी ग्राम कोलागढ़ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद संख्या-5913/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम) को उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।*

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *अंकित पुत्र अशोक कुमार नि0 हबीबगढ थाना कुतुबशेर सहारनपुर।*
2. *काका सैनी पुत्र बालाराम सैनी नि0 जीतवाला थाना कतुबसेर सहारनपर।*
3. *प्रवीन कुमार पुत्र धनीराम निवासी ग्राम कोलागढ़ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः –

1. *उ0नि0 श्री कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *का0 1913 राजन सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
3. *रि0का0 1381 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 18.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17.08.206 को वादी श्री हरि कुमार पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 रजि0 नं0 UP11CP0526 चोरी कर लेने के से सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0 598/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद पजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वाहन चोरी की घटना के अनावरण हेतु अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पर पजीकृत मु0अ0स0 598/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश मे आय़े अभियुक्त ***प्रदीप कुमार पुत्र अतर सिह निवासी लखनौती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को चैकिग के दौरान अम्बैहटा शेखा के पास बने रेलवे पुल के नीचे से चोरी की गयी मो0सा0 UP11CP 0526 के साथ गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

प्रदीप कुमार पुत्र अतर सिह निवासी लखनौती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- *01 मोटर साइकिल (रजि नं0 UP11CP 0526)*

पुलिस टीम का विवरण:-

1. *उ0नि0 रवि कुमार वर्मा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
2. *है0का0 341 विपिन कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
3. *है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 अभियुक्तगण 1. **गयूर पुत्र महबूब निवासी मौ0 खालसा थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. सोनू पुत्र शराफत निवासी मौ0 खालसा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत आमदा फसाद करते हुए थाना क्षेत्र कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *गयूर पुत्र महबूब नि0 मौ0 खालसा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।*
2. *सोनू पुत्र शराफत नि0 मौ0 खालसा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 सुन्दर सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
2. *रि0का0 1279 अनमोल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*